निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या :97/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

राजू पुत्र मंगल जाति माली निवासी ग्राम खोरा श्यामदास, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर ग्रामीण।

प्रार्थी

बनाम

1. कैलाश पुत्र नानगराम
2. रामलाल पुत्र नानगराम
3. शंकर पुत्र नानगराम
4. छीगन पुत्र नानगराम
5. ज्ञान देवी पत्नी नानगराम
6. सावित्री पुत्री नानगराम
7. कृष्णा पुत्री नानगराम
8. मन्नालाल पुत्र ग्यारसा
9. किशोर पुत्र ग्यारसा
10. मदन पुत्र ग्यारसा
11. मूली पुत्री ग्यारसा
12. गुल्ली पुत्री ग्यारसा
13. कालू पुत्र छोट्या
14. गुल्ला पुत्र छोट्या
15. सोहन पुत्र छोट्या
16. धापा पुत्री छोट्या
17. तीजा पुत्री छोट्या
18. राजी पुत्री छोट्या
19. मंगल पुत्र आनन्दा
20. बाबूलाल पुत्र आनन्दा
21. शिम्मू पुत्र आनन्दा
22. रामेश्वर पुत्र आनन्दा
23. गुल्ला पुत्र. आनन्दा

    समस्त जाति माली, निवासियान ग्राम खोरा श्यामदास, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर ग्रामीण।
24. तहसीलदार आमेर, हाल तहसीलदार रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर ग्रामीण ।
25. उप पंजीयक आमेर (रामपुरा डाबडी) जिला जयपुर ग्रामीण।
26. उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर ग्रामीण ।

प्रतिवादीगण /अप्रार्थीगण

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

मुन्तिकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 267/2015 उनवानी राजू बनाम कैलाश व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने बाबत।

उपस्थित –

1. श्री रामजीलाल वर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री मोहन लाल जाट अधिवक्ता अप्रार्थी 1 की की ओर से ।

निर्णय दिनांक 11.07.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी के समक्ष प्रकरण संख्या 267/2015 उनवानी राजू बनाम कैलाश व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थीगण ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई, किन्तु प्राप्त नही हुई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवता श्री मोहन लाल जाट ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में कानून व न्यायिक प्रक्रिया के सभी नियमों व कानून कायदों को ताक पर रख कर निराधार प्रार्थना पत्रों के आधार पर गैर कानूनी आदेश पारित कर दिये गये है जो कि सर्वथा कानून के खिलाफ है। इस गैर कानूनी कार्यवाही के सूत्रधार श्री शिम्भू सिंह द्वारा प्रार्थी को सेरेआम उक्त गैर कानूनी आदेशों की जानकारी दी गई तथा ऐलानियां धमकी दी कि उसने सारी व्यवस्था कर रखी है जिसके आधार पर उपरोक्त वर्णित आदेश दिनांक13.05.2024 एवं 30.05.2024 को करवा लिये तथा निर्णय व डिक्री दिनांक 29.04.2024 को मूल रूप से खत्म किया जाना बाकी है जो कि आगामी पेशी पर हो जावेगा। श्री शिम्भू सिंह द्वारा दी गई उक्त धमकी के आधार पर प्रार्थी वादी ने तुरन्त प्रार्थना पत्र पेश कर दिनांक 30.05.2024 की आदेशिका की नकल प्राप्त की। जिसमें नई निषेधाज्ञा जारी की हुई थी जो कि कानूनन गलत थी तथा इससे यह स्पष्ट हो गया है कि उसने सचमुच सांठ गांठ कर रखी है तथा आने वाली पेशी पर नई अनहोनी अवश्य ही होने वाली है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिमी हुआ। शिम्भू सिंह द्वारा पेश की गई मूल प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी में अंकित तथ्य भी बिलकुल निराधार है

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

जिसमें कहा गया है कि उसकी तामील नहीं हुई है । जबकि अदालत की पत्रावली में उसकी उपस्थिति व हस्ताक्षर पूर्व से ही मौजूद है। इस प्रकार सांठ गांठ के आधार पर व गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी पेश करके गैर कानूनी आदेश दिनांक 13.05.2024 व 30.05.2024 जारी करवा लिये है तथा दी गई धमकी के मुताबिक नया आदेश होना सम्भावित है इसलिए प्रार्थना पत्र मुन्तिकिल को ग्रहण व स्वीकार किया जाना कानूनन व न्याय की दृष्टि से वांछनीय है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी प्रकरण का निस्तारण नहीं होने देना चाहता है। इसलिए मिथ्या व काल्पनिक तथ्यों के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर (ग्रामीण)